



राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर



जी-३ राजगहल रेजीडेन्सी परिया, शिविल लाईन्स फाटक री-रकीम, जयपुर।

Telex : 0141-2222403/2222469 Email ID : dlbrajasthan@gmail.com Website : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक : एफ. 56 (क) सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2022-23 / 89879-884 दिनांक : 12/10/2022

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समर्त राजस्थान।

विषय:—इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत संविदाकार्मिकों के कार्य एवं
उत्तरदायित्व बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत नवनियुक्त कणिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, रटेट एमआईएस/एमआईएस मैनेजर एवं शहरी रोजगार सहायक के द्वारा किये जाने वाले कार्य संबंधी विवरण परिशिष्ट-1 से 4 अनुरूप संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: एफ.56(क) सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2022-23 / 89879-884 दिनांक: 12/10/2022
प्रतिलिपि:—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समर्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), रथानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
4. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका, समर्त राजस्थान।
5. सुरक्षित पत्रावली।

मुख्य अधियंता (IRGY)

कनिष्ठ तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियंता के कार्य एवं उत्तरदायित्व

क्र. सं.	उत्तरदायित्व
1	कार्य योजना में शामिल करने हेतु प्रतापित कार्यों का तकनीकी परीक्षण (Technical Feasibility) कर सहायक अभियंता को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
2	निकाय द्वारा कराए जाने वाले कार्यों के मॉडल तकनीकों के आधार पर वास्तविक तकनीका तैयार कर सहायक अभियंता/अधिशाषी अभियंता/अधीक्षण अभियंता (राक्षण तकनीकी अधिकारी) को तकनीकी रवीकृति नियमानुसार जारी किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
3	कार्य की तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय रवीकृति का पोर्टल पर अपलोड करवाया जाना।
4	कार्य प्रारंभ किये जाने से पूर्व गौके पर जाकर ले-आउट देना।
5	अकुशल/कुशल श्रमिकों को निर्धारित टारक रो अवगत करवाना।
6	सप्ताह में न्यूनतम एक दिन प्रत्येक कार्य पर नियोजित श्रमिकों की उपरिथति को मरटररोल से मिलान करना।
7	I. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban) के अंतर्गत निकायों द्वारा कराए जा रहे समरत कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण व पखवाड़ा पूरा होने पर 3 से 5 दिन के अंदर कार्य की माप की जाकर भुगतान विवरणिका तैयार कर सक्षम तकनीकी अधिकारी (राहायक अभियंता/अधिशाषी अभियंता/अधीक्षण अभियंता) के गाध्यग से संबंधित निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी को प्रस्तुत करना। II. कार्यों की सामग्री क्षय किये जाने हेतु जी-शिड्यूल तैयार कर सक्षम तकनीकी अधिकारी के माध्यम से संबंधित निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी को प्रस्तुत करना। III. कार्यों के निरीक्षण के दौरान सामग्री के क्षय, उपयोग, वकाया रटॉक व गुणवत्ता की जांच करना एवं एम.ए.एस. (मैटेरियल एट राईट) रजिस्टर का संधारण किया जाना।
8	माप पुरितका इन्ड्राज किये जाने के उपरांत हस्ताक्षर के नीचे नाम व पदनाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना।
9	माप पुरितका के मूल्यांकन उपरांत पखवाड़े में प्रयुक्त की गई सामग्री (यथा सीमेंट, कंकीट, बजरी एवं अन्य) का विश्लेषण कर प्रयुक्त गात्रा का अंकन किया जाना।
10	माप पुरितका में इन्ड्राज के उपरांत प्रमाण पत्र निमानुसार अंकित किया जावे:- I. कार्य की वास्तविक माप पखवाड़ा अवधि..... से तक की मेरे द्वारा वास्तविक रूप से मौके पर जाकर की गई है। II. माप पुरितका में कार्य के मूल्यांकन हेतु आरयूआईडीपी एसओआर-2017 एवं श्रम विभाग के द्वारा अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल श्रमिकों की दरों का प्रयोग किया गया है। III. कार्य के मूल्यांकन की राशि अक्षरों में एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए कार्य के टास्क के अनुरूप श्रमिकों की प्रतिदिन देय राशि एवं सामग्री की राशि का पृथक्-पृथक् उल्लेख किया जावे। IV. कार्य की माप तिथि एवं प्रयुक्त मरटररोल्स, सामग्री से संबंधित विल एवं वाउचर्स का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे। V. माप पुरितका में नियोजित मेट का नाम अंकित किया जावे।
11	माप पुरितका गरे जाने के उपरांत सहायक अभियंता/अधिशाषी अभियंता/अधीक्षण अभियंता (सक्षम तकनीकी अधिकारी) के द्वारा विगाहीय चेक नोमर्स के अनुरूप कार्य का निरीक्षण किया जाकर माप पुरितका एवं विल, वाउचर संबंधित निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी/लेखाधिकारी को भुगतान के क्रम में परीक्षण उपरांत गिजावाया जाना।
12	सहायक अभियंता/अधिशाषी अभियंता/अधीक्षण अभियंता (सक्षम तकनीकी अधिकारी) के द्वारा जारी तकनीकी रवीकृति के अनुरूप उपयोगिता एवं पूर्णता प्रगाण पत्र पत्रावली में संधारित किया जाना।
13	अन्य कार्य समय-समय पर राज्य रारकार/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी के द्वारा आवंटित किये जाने के अनुरूप किया जाना।

15/58

शहरी रोजगार सहायक के कार्य एवं उत्तरदायित्व

क्र. सं.	उत्तरदायित्व
1	समरत पंजीकृत परिवारों को ऑनलाईन जॉबकार्ड जारी करवाने में सहयोग करना।
2	रोजगार हेतु श्रमिकों की गांग प्रपत्र—। में रांकलित कर ऑनलाईन गर्स्टररोल जारी करवाना एवं श्रमिकों का कार्य पर नियोजन रांबंधी सूचना दिया जाना।
3	कार्यवार पत्रावली संधारित किया जाना जिसमें कार्य की तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्थीकृति तथा श्रम मद में प्रयुक्त गर्स्टररोल्स एवं सामग्री के विल व वाउचर को रांलग्न कर कगांक अंकित करना।
4	कार्यस्थल पर मजदूरों हेतु छाया, पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
5	कार्यस्थल पर कार्य प्रदर्शन बोर्ड पर अकृशल श्रमिकों से प्रतिदिन लिया जाने वाला टारक, स्थीकृत कार्य का विवरण लागत (श्रग व सामग्री), कार्य प्रारंभ होने की तिथि एवं कार्य पूर्ण होने की संगावित तिथि एवं योजना का प्रतीक चिन्ह (Logo) लगाया जाना सुनिश्चित करना।
6	कार्यस्थल पर वारतविक श्रमिकों का ही नियोजन किया जाना एवं यह सुनिश्चित किया जाना कि उनके एवज में अन्य कोई श्रमिक कार्य न करें।
7	कार्यस्थल पर निरीक्षण पंजिका की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
8	यह प्रयास करना की पंजीकृत परिवारों में से कम से कम 75% परिवार कार्य पर जाये एवं कार्य पर आये हुए परिवारों में से कम से कम 80% 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करें।
9	अन्य कार्य सागय—सागय पर राज्य सरकार/आयुक्त/अधिशाखी अधिकारी के द्वारा आवंटित किये जाने के अनुरूप किया जाना।

लेखा सहायक के कार्य एवं उत्तरदायित्व

क्र. सं.	उत्तरदायित्व
1	वार्षिक कार्य योजना रांबंधी कार्य, रागत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करवाकर पोर्टल पर अपलोड करवाया जाना।
2	लेखों का रांधारण जिरामें कार्यवार पत्रावली रांधारित कर कार्य से संबंधित गरटररोल्स, विल व वाऊचर का रांधारण किया जाना।
3	व्यय राशि का प्रतिमाह बैंक से अंकगिलान करना।
4	कार्यवार श्रम व सामग्री गद के तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुरूप 75:25 निगरानी रखना एवं विशेष प्रकृति के कार्यों में 25:75 सामग्री व मद अनुपात के कार्य लिये।
5	वित्त एवं लेखों से रांबंधित महालेखाकार, रीए एवं अन्य एजेंसी द्वारा की जाने वाली ऑडिट का कार्य करवाना एवं इनकी अनुपालना प्रेषित करवाना।
6	जारी गरटररोल के ट्रैकिंग सिस्टम के रजिस्टर का संधारण करना।
7	कार्य के प्रत्येक भुगतान के समय गाप पुरितिका में गणना कर बीएसआर में प्रयुक्त दरों का गिलान कर प्रगाण पत्र अंकित करना।
8	सहायक अगियंता/अधिशाषी अगियंता/अधीक्षण अगियंता (सक्षम तकनीकी अधिकारी) के द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप उपयोगिता एवं पूर्णता प्रगाण पत्र पत्रावली में संधारित किया जाना।
9	वित्त एवं लेखों से संबंधित राज्य रतर पर सभी वांछित सूचना प्रेषित करना।
10	श्रम भुगतान की मजादूरी सूची पारित कराना एवं श्रम भुगतान होने पर उनका गिलान किया जाना।
11	अन्य कार्य सगय-सगय पर राज्य सरकार/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी के द्वारा आवंटित किये जाने के अनुरूप किया जाना।

13
14

स्टेट एमआईएस मैनेजर के कार्य एवं उत्तरदायित्व

क्र. सं.	उत्तरदायित्व
1	हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर/पोर्टल पर आ रही कठिनाईयों का निराकरण किया जाना।
2	एमआईएस मैनेजर/डेटा एंट्री ऑपरेटर की क्षमतावर्धन का कार्य।
3	योजनान्तर्गत पर्यावार की प्रगति रिपोर्ट (Fortnightly Progress Report) संकलित कर उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना।
4	ग्रटररोल, कार्यों संबंधी डेटा व एमआईएस के अन्य मॉड्यूल का मापदण्ड अनुसार इन्द्राज करवाया जाना।
5	ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी का रागाधान एवं डेटाओं की ऑनलाईन एंट्री करवाना।
6	एमआईएस गैनेजर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को चेक किया जाना एवं उनके द्वारा संपादित कार्यों का मूल्यांकन किया जाना।
7	वीडियो कॉन्फ्रेंस/बैठकों हेतु पीपीटी तैयार किया जाना।
8	अन्य कार्य रागय-समय पर राज्य सरकार/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी के द्वारा आवंटित किये जाने के अनुरूप किया जाना।

|
|
|
|
|

एमआईएस मैनेजर के कार्य एवं उत्तरदायित्व

क्र. सं.	उत्तरदायित्व
1	हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर/पोर्टल पर आ रही कठिनाईयों का निराकरण किया जाना।
2	डेटा एंट्री ऑपरेटर की क्षमतावर्धन का कार्य।
3	योजनान्तर्गत पखवाड़े की प्रगति रिपोर्ट (Fortnightly Progress Report) संकलित कर उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना।
4	ग्राम्य इन्फ्रास्ट्रक्चर, कार्यों संबंधी डेटा व एमआईएस के अन्य मॉड्यूल का मापदण्ड अनुसार इन्द्राज करवाया जाना।
5	गूगल ड्राईव में समय-समय पर चाही गयी सूचना भिजवाया जाना।
6	ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी का समाधान एवं डेटाओं की ऑनलाइन एंट्री करवाना।
7	वीडियो कॉन्फ़ेंस/वैठकों हेतु पीपीटी तैयार किया जाना।
8	अन्य कार्य सागर-सागर पर राज्य सरकार/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी के द्वारा आवंटित किये जाने के अनुरूप किया जाना।

भृगु